न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू.डी.खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2020

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001
— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. आजाद मीणा पुत्र स्योलाराम नि0 – 111, मीणो व राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम नांगल, तह. उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू 333307
2. श्रीमती तीजा देवी पत्नी स्योलाराम, नि0 – 111, मीणो व राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम नांगल, तह. उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू 333307

Also At
श्रीमती तीजा देवी, ग्राम नांगल, उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू

3. श्रीमती मीना देवी पत्नी नरपत सिंह, नि0 वार्ड नं0 11 कुआं अडानिया नांगल, ग्राम नांगल, तह. उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थितः–
1 एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) – प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 25.01.2021

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष मे उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 850000/–रू0 अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपयें की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060700460251 (पुराना खाता सं0 LSNKA05715–160401634) दि0 08.02.2016 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। प्रार्थी ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है– अचल संपत्ति survey नं. 20 ग्राम नांगल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू नपती 233.88 SQ. ... तीजा देवी के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–
पूरब में – मकान कमरूदीन
पश्चिम में – मकान हरिराम व झण्डुराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उतर में – सीकर–नीम का थाना रोड
दक्षिण में – आम रास्ता
अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैक द्वारा दि0 11.05.2019 को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैक द्वारा दि0 25.11.2019 को मांग नोटिस अं. धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 668439 / रू0 अक्षरे छः लाख अडसठ हजार चार सौ उनचालीस रू0 मय ब्याज व खर्चा दि0 11.05.2019 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे / नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मुल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है– survey नं. 20 ग्राम नांगल उदयपुरवाटी जिला झुझुनू नपती 283.88 SQ.YDS अप्रार्थी तीजा देवी के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चाहदी निम्न प्रकार से है–
पूरब में – मकान कमरूदीन
पश्चिम में – मकान हरिराम व झण्डुराम
उतर में – सीकर–नीम का थाना रोड
दक्षिण में – आम रास्ता
उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नही है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावें जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल आज उपस्थित नही। अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी / गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि ार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी ू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा क्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोंसमेंट ऑफ क्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये क रखी गई सम्पति श्रीमती तीजा देवी पत्नी नरपत सिंह के नाम अचल संपत्ति survey 20 ग्राम नांगल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं चा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 283.88 वर्ग गज है का पजेशन र्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये ने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी वश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक **25.01.2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

25/01/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested